Regd. No. CHD/0093/2015-201

Haryana Government Gazette

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 15-2017] CHANDIGARH, TUESDAY, APRIL 11, 2017 (CHAITRA 21, 1939 SAKA) PART-III

हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

दिनांक 6 अप्रैल, 2017

संख्या प्राधिकरण–2017/Spl-1.– हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1977 (1977 का अधिनियम–13) की धारा 54 द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इस संबंध में इसे सक्षम बनाने वाली सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, राज्य सरकार के पत्र क्रमांक 1/41/2014–1 टीसीपी दिनांक 24 जुलाई, 2014 के पूर्ववर्ती अनुमोदन के साथ हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण सेवा विनियम, 1989, में संशोधन के लिये निम्नलिखित विनियम बनाता है, नामतः–

1. (1) ये विनियम हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण सेवाएं (संशोधन) नियम, 2017 कहलाए जाएंगे।

   (2) ये नियम तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

2. हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण सेवाएं विनियम, 1989 (बाद में नियमों के रूप में संदर्भित) में 'इंजीनियरिंग विंग' शीर्षक के तहत क्रम संख्या 4 शीर्षक के तहत तथा इसके समक्ष प्रविष्टियों को निम्नलिखित क्रम संख्याओं और उनके समक्ष प्रविष्टियों से बदला जाएगा:–

1. अनुलग्नक ख

<table>
<tr><th>क्रम सं०</th><th>पदनाम</th><th>सीधी भर्ती के लिये शैक्षणिक योग्यता एंव अनुभव, यदि कोई है।</th><th>सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्ति के लिये शैक्षणिक योग्यता एंव अनुभव, यदि कोई है।</th><th>टिप्पणी</th></tr>
<tr><td>4</td><td>उपमण्डल अभियन्ता (सिविल एंव इलैक्ट्रिक्ल)</td><td>(i) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी० एंससी० अभियांत्रिकी (सिविल/इलैक्ट्रकिल / मैकेनिकल) या समकक्ष ।
(ii) हिन्दी/संस्कृत के साथ दसवीं</td><td>(i) कनिष्ठ अभियन्ता सिविल/मैकेनिकल/ इलैक्ट्रिकल अभियांत्रिकी में डिप्लोमा या समकक्ष के साथ या कनिष्ठ अभियन्ता के रूप में 10 वर्षो का अनुभव।
या
(ii) सहायक प्रारूपकार/ मुख्य प्रारूपकार ग्रेड–2/मुख्य प्रारूपकार ग्रेड–1 के रूप में 10 वर्षो का अनुभव ।</td><td>उपमण्डल अभियन्ता के पद पर भर्ती 100 रिक्तियों के समूह के विरुद्ध इंगित अनुपात और क्रम में नीचे दिये गये सूचीबद्ध स्रोत में से की जाएगी ।
<table>
<tr><th>क्रम स.</th><th>भर्ती की विधि</th><th>अनुपात</th><th>100 रिक्तियों की सूची में प्रत्येक स्रोत का आंबटन</th></tr>
<tr><td>1</td><td>सीधी भर्ती</td><td>50 प्रतिशत</td><td>1 से 5
14 से 17
21 से 25
32 से 36
41 से 46</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

		या (iii) कनिष्ठ अभियन्ता / प्रारूपकार सिविल / मैकेनिकल / इलैक्ट्रिकल अभियांत्रिकी में डिग्री या समकक्ष के साथ 2 वर्ष का अनुभव। या (iv) कनिष्ठ अभियन्ता / प्रारूपकार के रूप में 5 वर्ष के अनुभव के साथ ए. एम. आई. ई. डिग्री।				52 से 55 61 से 66 72 से 76 81 से 86 व 93 से 96
			2	निम्न श्रेणियों में से पदोन्नति द्वारा	50 प्रतिशत	
			(i)	उपमण्डल अभियन्ता (सिविल) के लिए सिविल अभियांत्रिकी में डिप्लोमा के साथ व उपमण्डल अभियन्ता (इलैक्ट्रिकल) के लिए ईलैक्ट्रिकल / मैकेनिकल अभियांत्रिकी में डिप्लोमा के साथ कनिष्ठ अभियन्ता या समकक्ष और कनिष्ठ अभियन्ता के रूप में 10 वर्ष का अनुभव।	30 प्रतिशत	6,8,9,12, 13,19,20, 26,28,29, 31,39,40, 48,49,51, 56,58,59, 68,69,71, 77,79,80, 88,89,92, 99 व 100
			(ii)	सहायक प्रारूपकार / मुख्य प्रारूपकार ग्रेड–2 / मुख्य प्रारूपकार ग्रेड–1 के रूप में 10 वर्ष का अनुभव ।	6 प्रतिशत	11, 30, 50, 60, 70 एवं 91
			(iii)	(क) उपमण्डल अभियन्ता (सिविल) के लिए सिविल अभियांत्रिकी में डिग्री के साथ व उपमण्डल अभियन्ता (इलैक्ट्रिकल) के लिए इलैक्ट्रिकल / मैकेनिकल अभियांत्रिकी में डिग्री के साथ कनिष्ठ	12 प्रतिशत	7, 10, 27, 37, 38, 47, 57, 78, 87, 90, 97 व 98

					अभियन्ता या समकक्ष और कनिष्ठ अभियन्ता के रूप में दो वर्ष का अनुभव। या (ख) उपमण्डल अभियन्ता (सिविल) के लिए कनिष्ठ अभियन्ता सिविल अभियांत्रिकी में ए. एम. आई. ई. डिग्री और उपमण्डल अभियन्ता (इलैक्ट्रिक्ल) के लिए इलैक्ट्रिक्ल/मैकेनिकल अभियांत्रिकी में अभियंता डिग्री की ए. एम. आई. ई. या समकक्ष के साथ 5 वर्ष का अनुभव। (ग) उपमण्डल अभियन्ता (सिविल) के लिए सिविल अभियांत्रिकी में अभियंता डिग्री की ए. एम. आई. ई. के साथ प्रारूपकार/अनुरेखक और 5 वर्ष का अनुभव।	2 प्रतिशत	18 व 67
				टिप्पणी: यदि प्रारूपकार या अनुरेखक सेवा से कोई सदस्य निर्धारित योग्यता के साथ विशिष्ट रोस्टर प्वाइंट पर उपलब्ध नहीं होगा तो यह पद आवश्यक शैक्षणिक योग्यता वाले कनिष्ठ अभियन्ता को दे दिया जाएगा और अगला उपलब्ध पद निर्धारित योग्यता वाले प्रारूपकार एवं अनुरेखक सेवा के सदस्य को दिया जाएगा। लेकिन इस कैडर का 2 प्रतिशत का कोटा किसी भी स्थिति में ज्यादा नहीं होगा ।			

विकास गुप्ता,
मुख्य प्रशासक,
हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण।